

12-2-19

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। पूर्व का अधिसूचना थपपावत रहेगा 26-3-19

26-3-19

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 16-7-19 को पेश हो। पूर्व का अधिसूचना थपपावत रहेगा।
रीडर
उपखण्ड अधिकारी मन्थन

16-7-19

पत्रावली पेश हुई, अभिभावकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो। पूर्व का अधिसूचना थपपावत रहेगा 27-8-19

27-8-19

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित, विपक्षी गण के सम्मन वाप तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी गण को छिल्ली बर्तना आवेजें फिलार्जी जाने उपरान्त श्री उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली में आदेश लेटु नियत दिनांक 30-8-19 को पेश हो।

30-8-19

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी को अस्पष्ट निषेधाज्ञा नहीं मिली तो उसे अप्ररणीय क्षति होगी। मैंने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. के तहत मूलवाद पत्र के निस्तारण तक अस्पष्ट निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर मूलवाद पत्र के साथ संलग्न हो।

श्री गो
भीलवा

1. श्री जि
2. श्री जि
3. रा भी

महोदय ज

1. य प्र
2. य ख मे
3. य 20 06 17